प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) सं .5528/2021

आदेश सुरक्षित किया गया :26-8-2025

आदेश पारित किया गया :4-9- 2025

हरदेव राम साहू, पिता श्री मधुलाल साहू, 60 वर्ष , वर्तमान में अनुभाग अधिकारी के रुप मे पदस्थ , सामान्य प्रशासन विभाग, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव के द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---- उत्तरवादी

रिट याचिका (सेवा) सं . 6913 /2021

1. कश्यप कृष्ण गौतम, पिता स्वर्गीय श्री महात्मा सिंह, उम्र लगभग 60 वर्ष, अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2. विजय कुमार चौधरी, पिता स्वर्गीय श्री सी.आर. चौधरी, उम्र लगभग 48 वर्ष, अवर सचिव, राजस्व विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

3. शत्रुहन यादव, पिता श्री रूंगुराम यादव, उम्र लगभग 60 वर्ष, पदस्थ अवर सचिव, राजस्व विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

4. एन.पी. मरावी, पिता स्वर्गीय श्री दीपचंद मरावी, उम्र लगभग 50 वर्ष, पदस्थ अवर सचिव, सामान्य प्रशासनिक विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

5. दशेराम चंद्रवंशी, पिता स्वर्गीय श्री जंगलूराम, उम्र लगभग 53 वर्ष, पदस्थ अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासनिक विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

6. अलेक्जेंडर झाक्सा, पिता स्वर्गीय श्री अल्फोंस झाक्सा, 52 वर्ष, पिपरडीह, डाक अनुभाग अधिकारी, राजस्व विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

7. राजपाल बघेल, पिता स्वर्गीय श्री जी. पिता बघेल, 54 वर्ष, पोस्ट असिस्टेंट ग्रेड-1, राजस्व विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

8. धनेश्वर प्रसाद देवांगन, पिता स्वर्गीय श्री लालजी देवांगन, आयु 54 वर्ष, पोस्ट सहायक ग्रेड-1, राजस्व विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

9. रवींद्र कुमार बरसागड़े, पिता स्वर्गीय श्री गीकुलदास बरसागड़े, आयु 61 वर्ष, पोस्ट सहायक ग्रेड-1, गृह विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. कृष्ण कुमार शर्मा, पिता स्वर्गीय श्री जयकिशन शर्मा, आयु 62 वर्ष, पोस्ट सहायक ग्रेड-1, मुख्यमंत्री सचिवालय, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

1पिता राजेश कुमार जैन, पिता स्वर्गीय श्री सुधाकर राव, आयु 53 वर्ष, पोस्ट सहायक ग्रेड-1, जनजातीय विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव के द्वारा, सामान्य प्रशासनिक विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2. मध्य प्रदेश राज्य, सचिव के द्वारा, सामान्य प्रशासनिक विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश

3. भारत संघ, सचिव के द्वारा, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, तीसरा तल, लोकनाथ भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।

--उत्तरवादीगण

तथा

रिट याचिका सिविल सं. 829/2022

1. उमेदी राणा, पिता स्वर्गीय श्री जगनू राणा, 56 वर्ष है, वर्तमान में अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2. केनास कुमार नायक, पिता स्वर्गीय श्री जैकब नायक, 53 वर्ष , वर्तमान में अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

3. तीर्थ प्रसाद लाडिया, पिता स्वर्गीय श्री निरपत सिंह, आयु लगभग 59 वर्ष, वर्तमान में उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

4. अनवरुर्शीद खान, पिता श्री इमरान खान, आयु लगभग 59 वर्ष, वर्तमान में अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

5. के.के. भूआर्य, पिता स्वर्गीय श्री कुंवर सिंह, आयु लगभग 54 वर्ष, वर्तमान में अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. बचन सिंह, पिता स्वर्गीय श्री हरि सिंह, आयु लगभग 51 वर्ष, वर्तमान में सहायक ग्रेड **I,** सामान्य प्रशासन विभाग, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

7. शिव कुमार गौड़, पिता स्वर्गीय श्री जनपत गौड़, आयु लगभग 52 वर्ष, वर्तमान में सहायक ग्रेड **I,** सामान्य प्रशासन विभाग, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

8. लोकनाथ ठाकुर, पिता भबजी राम ठाकुर, आयु लगभग 52 वर्ष, वर्तमान में सहायक ग्रेड **I**, सामान्य प्रशासन विभाग, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

9. महेंद्र कुमार मंडले, पिता स्वर्गीय श्री के.एल. मंडले, आयु लगभग 55 वर्ष, वर्तमान में सहायक ग्रेड **I,** सामान्य प्रशासन विभाग, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

10. विजय कुमार चौरसिया, पिता स्वर्गीय श्री बी.एन. चौरसिया, आयु लगभग 47 वर्ष, वर्तमान में सहायक ग्रेड **I,** सामान्य प्रशासन विभाग, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

11. जयंत भगवान कोल्टे, पुत्र स्वर्गीय श्री बी.ओ. कोल्टे, आयु लगभग 48 वर्ष, वर्तमान में सहायक ग्रेड **I,** सामान्य प्रशासन विभाग, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

12. श्रीमती एमरेंसिया ज़ेस, पत्नी श्री याकूब ज़ेस, आयु लगभग 60 वर्ष, वर्तमान में उप सचिव, सामान्य विभाग, अटल नगर, जिला प्रशासन रायपुर, छत्तीसगढ़

13. जनक कुमार, पुत्र स्वर्गीय श्री रोदम सिंह, 59 वर्ष, वर्तमान में अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

14. झमान राम, पिता स्वर्गीय श्री सोमरा राम, 56 वर्ष , वर्तमान में सहायक ग्रेड I, सामान्य प्रशासन विभाग, अटल नगर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव के द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डब्ल्यूपीएस सं 5528/2021 तथा 829/2022 में याचिकाकर्ताओं हेतु :श्री वाई. सी. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता,ऐश्वर्या दीवान, अधिवक्ता।

डब्ल्यूपीएस सं.6913/2021 मे याचिकाकर्ताओं हेतु : डॉ. सचिन अशोक काले, अधिवक्ता।

उत्तरवादी/राज्य हेतु :श्री अजीत सिंह तथा श्री राहुल तमस्कर,शासकिय अधिवक्ता।

उत्तरवादी सं .3/डब्ल्यू. पी. एस.सं .6913/2021 में भारत संघ :श्री तुषार धर दीवान, अधिवक्ता।

युगल पीठ :---

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल,न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री संजय कुमार जयसवाल, न्यायाधीश

सी.ए.वी आदेश

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश के अनुसार

1. रिट याचिकाओं के इस समूह में, याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 14-6-2021 की अधिसूचना की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा भर्ती नियम, 2012 (संक्षेप में, '2012 के नियम') में संशोधन किया गया है, जिसमें अनुसूची- □□ के क्रमांक 1, 2, 3 और 7 में संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए आवश्यक अनुभव

के अलावा स्नातक की डिग्री को योग्यता के रूप में शामिल किया गया है,जिन पदों के संबंध में चुनौती दी गई है, वे सभी 100% पदोन्नति वाले पद हैं।

2. चूंकि रिट याचिकाओं के इस समूह में विधि तथा तथ्य का सामान्य प्रश्न शामिल है, इसलिए उन्हें एक साथ जोड़ दिया गया है, एक साथ सुना गया है और इस सामान्य आदेश द्वारा निराकरण किया जा रहा है।

3. डब्ल्यूपीएस संख्या 5528/2021 में एकमात्र याचिकाकर्ता, हरदेव राम साहू, रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हो गए और इसी प्रकार, डब्ल्यूपीएस संख्या 829/2022 में याचिकाकर्ता संख्या 3 तीर्थ प्रसाद लाडिया, याचिकाकर्ता संख्या 4 अनवरुर्शीद खान, याचिकाकर्ता संख्या 12 श्रीमती एमरेंसिया एक्सेस और याचिकाकर्ता संख्या 13 जनक कुमार, रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हो गए। इसी प्रकार, डब्ल्यूपीएस संख्या 6913/2021 में याचिकाकर्ता संख्या 9 रवींद्र कुमार बरसागड़े और याचिकाकर्ता संख्या 10 कृष्ण कुमार शर्मा, रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हो गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तथ्य संक्षेप में:---

4. संशोधित नियम को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि पदोन्नति पदों के लिए स्नातक की डिग्री की योग्यता निर्धारित करने वाले नियम में संशोधन अनुचित, अनुचित और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि प्रतिवादी राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी के पदोन्नति पदों के लिए स्नातक की डिग्री की अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता जोड़ने की क्या आवश्यकता है।याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि नियमों में कोई भी संशोधन लाने के लिए कारण बताना राज्य का कर्तव्य था और यह उचित, निष्पक्ष और घोर अन्यायपूर्ण नहीं होना चाहिए, हालाँकि, वर्तमान मामले में, ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है जो राज्य की ओर से अनुचित और अनुचित हो और इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत याचिकाकर्ताओं के अधिकारों की गारंटी का उल्लंघन करता है।याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि उपरोक्त संशोधन केवल 2012 के नियमों की अनुसूची–□□ में किया गया है तथा 2012 के नियमों के नियम 14 के मूल प्रावधान में कोई संशोधन नहीं किया गया है, जो पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तों से संबंधित है तथा स्नातक डिग्री की शैक्षिक योग्यता लागू करना पूरी तरह से अनावश्यक है, क्योंकि वे फीडर पद पर काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं तथा उनमें से कुछ पहले ही सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

5. छत्तीसगढ़ राज्य ने जवाब दाखिल किया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कहा गया है कि पदोन्नति को विनियमित करने वाले नियमों में संशोधन करना पूरी तरह से राज्य सरकार का विशेषाधिकार है और राज्य सरकार द्वारा नियमों में एकतरफा बदलाव किया जा सकता है, याचिकाकर्ताओं के पास पदोन्नति का कोई निहित अधिकार नहीं है, पदोन्नति का मात्र अवसर सेवा की शर्त नहीं है और याचिकाकर्ताओं के पास उस

नियम को चुनौती देने का कोई लागू करने योग्य अधिकार नहीं है जिसके द्वारा उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए स्नातक की डिग्री की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है क्योंकि पदोन्नत व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति को देखते हुए यह पूरी तरह से जिम्मेदारी से भरा है।उपर्युक्त पदों के लिए स्नातक की डिग्री की शैक्षणिक योग्यता जोड़ी गई है जो न्यूनतम योग्यता है और जिसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पूर्वोक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करना किसी भी तरह से अवैध तथा विधि के विपरीत नहीं कहा जा सकता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों में अवर सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक है और इस विसंगति को दूर करने के लिए, ऐसा संशोधन किया गया है जो पूर्णतः विधिसम्मत है।अतः, रिट याचिकाएँ खारिज किए जाने योग्य हैं।

6. जवाब में लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया है।

पक्षकार की ओर से प्रस्तुतियाँ

7. श्री वाई. सी. शर्मा, डब्ल्यू. पी. एस. □□□.5528/2021 और 829/2022 में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, निम्नानुसार प्रस्तुत करते है :-----

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. 2012 के नियमों की अनुसूची-IV जिसके द्वारा संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी के पदों पर पदोन्नति के लिए शैक्षिक योग्यता के रूप में स्नातक की डिग्री को शामिल करने वाला विवादित संशोधन किया गया है, अनुचित और अनुचित होने के अलावा अन्यायपूर्ण और अनुचित है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित उनके मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है।

2. राज्य उपरोक्त पदों के लिए शैक्षिक योग्यता में स्नातक की डिग्री जोड़ने की आवश्यकता को उचित ठहराने में विफल रहा है, क्योंकि हलफनामे में यह दिखाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है कि उक्त पदों पर काम की प्रकृति ऐसी थी कि इसके लिए उच्च योग्यता की आवश्यकता होगी।

3. उपरोक्त संशोधन, 2012 के नियमों के नियम 14 के मूल प्रावधान, जो पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तों से संबंधित है, में संशोधन किए बिना अनुसूची में किया गया है।

4. पदोन्नति पदों के लिए शैक्षिक योग्यता अर्थात स्नातक की डिग्री का प्रावधान पूरी तरह से अनावश्यक था, क्योंकि याचिकाकर्ता लंबे समय से संबंधित पदों पर कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे थे।

5. पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार न करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शर्मा, अपने तर्कों के समर्थन में उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम राम गोपाल शुक्ला 1, बुधन चौधरी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य 2, भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य बनाम ओम प्रकाश शर्मा एवं अन्य 3, महाराष्ट्र वन रक्षक एवं वनपाल संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य 4, मेजर जनरल एच.एम. सिंह,

वीएसएम बनाम भारत संघ एवं अन्य 5 और एम.पी. अडे एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य 6 के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों का सहारा लेते है ।

8. डॉ. सचिन अशोक काले, याचिकाकर्ताओं की ओर से डब्ल्यूपीएस संख्या 6913/2021 में उपस्थित विद्वान वकील, प्रस्तुत करेंगे कि उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए शैक्षणिक योग्यता जोड़ने के लिए 2012 के नियमों की अनुसूची-□□ में किया गया संशोधन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 69(1) में संलग्न प्रावधान के विपरीत है और इसलिए, इसे रद्द किया जाना चाहिए।

9. श्री राहुल तामस्कर, छत्तीसगढ़ राज्य/उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान शासकिय अधिवक्ता , प्रस्तुत करते है कि किसी विधान की संवैधानिकता के पक्ष में विधि की धारणा है।उच्च पद के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता अर्थात स्नातक डिग्री की आवश्यकता संवैधानिक रूप से कानूनी है क्योंकि प्रत्येक पदोन्नति के साथ कार्य और जिम्मेदारी का दायरा बढ़ता जाता है।इसलिए,उच्च पद के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करना उपयुक्तता और प्रशासनिक दक्षता की दृष्टि से पूरी तरह से न्यायसंगत और उचित है। उन्होंने आगे कहा कि पदोन्नति एक निहित अधिकार नहीं है, बल्कि पदोन्नति के लिए विचार किए जाने की तिथि पर लागू नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किया जाने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करना नियोक्ता का विशेषाधिकार है।उनका तर्क है कि उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए स्नातक की डिग्री की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाले 2012 के नियमों में अनुसूची में संशोधन करने वाली आक्षेपित अधिसूचना मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 69(1) के प्रावधान के विपरीत नहीं है।अंत में, उनका तर्क है कि याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं कि 14-6-2021 की अधिसूचना द्वारा 2012 के नियमों में लाया गया आक्षेपित संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 का उल्लंघन कैसे है।इस मामले के तहत, रिट याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य हैं।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वंदी निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

नियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के आधार :---

11. किसी विधि की व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि वह "यूट रेस मैगिस वैलेट क्वाम पेरेट" के सिद्धांत पर प्रभावी तथा प्रभावी बनाया जा सके।इसलिए, यह धारणा कि विधानमंडल अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करता है, और यह स्थापित करने का भार कि अधिनियम विधानमंडल की क्षमता के अंतर्गत नहीं है, या इसने अन्य संवैधानिक आदेशों, जैसे कि मौलिक अधिकारों से संबंधित आदेशों का उल्लंघन किया है, हमेशा उस व्यक्ति पर होता है जो इसके अधिकारों को चुनौती देता है।(देखें, न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, 12 वां संस्करण, पृष्ठ 592।)

12. यह विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी भी क़ानून को हल्के में असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है।न्यायालय को बिना किसी संदेह के यह मानना होगा कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन इतना स्पष्ट था कि चुनौती दिए गए विधायी प्रावधान मान्य नहीं हो सकते है।

13. तमिलनाडु राज्य औरअन्य बनाम पी. कृष्णमूर्ति एवं अन्य 7 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने विनियमों सहित अधीनस्थ विधान की वैधता का निर्णय करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों :---

"15. अधीनस्थ विधान की संवैधानिकता या वैधता के पक्ष में एक पूर्वधारणा होती है और उस पर आक्रमण करने वाले पर यह भार होता है कि वह यह सिद्ध करे कि वह अवैध है।यह भी सर्वविदित है कि अधीनस्थ विधान को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर चुनौती दी जा सकती है:
(क) अधीनस्थ विधान बनाने हेतु विधायी क्षमता का अभाव।

(ख) भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन।

(ग) भारत के संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन।

(घ) उस विधि का पालन करने में विफलता जिसके तहत इसे बनाया गया है या सक्षम अधिनियम द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण की सीमाओं से अधिक है।

(ड) देश के विधि,अर्थात किसी भी अधिनियम के प्रति प्रतिकूलता।

(च) स्पष्ट मनमानी/अनुचितता (इस हद तक कि अदालत यह कह सकती है कि विधायिका का ऐसे नियम बनाने का अधिकार देने का कभी आशय नहीं था)।"

प्रश्न नियम

14. जिस नियम को असंवैधानिक और याचिकाकर्ताओं के संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी के पदों पर पदोन्नत होने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला बताकर चुनौती दी जा रही है, उसे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया है

15. दिनांक 14-6-2021 की आक्षेपित अधिसूचना द्वारा, 2012 के नियमों की अनुसूची-□□ में संशोधन किया गया है, जिसके द्वारा संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंड में स्नातक डिग्री की शैक्षणिक योग्यता को जोड़ा गया है।

16. संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव तथा अनुभाग अधिकारी के पदोन्नति पदों हेतु आवश्यक पात्रता योग्यता, संशोधन से पहले तथा संशोधन के बाद, निम्नानुसार हैः---

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

स्थिति पूर्व-संशोधन (अनुसूची IV)

एस. नं	. वर्तमान पद	पदोन्नति पद	योग्यता
1	उप सचिव,	संयुक्त सचिव	3 वर्ष के फीडर संवर्ग में सेवा
2.	अवर सचिव,	उप सचिव	3 वर्ष के फीडर संवर्ग में सेवा
3	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	5 वर्ष के फीडर संवर्ग में सेवा
4	सहायक ग्रेड-□	अनुभाग अधिकारी	5 वर्ष के फीडर संवर्ग में सेवा

पदोन्नति की संभावना, क्या यह मौलिक अधिकार है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. किसी कर्मचारी को पदोन्नति का अधिकार है या नहीं, यह उसकी सेवा को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों या सेवा संविदा की शर्तों या कार्यकारी निर्देशों पर निर्भर करता है, जैसा भी मामला हो।यदि नियम या सेवा संविदा आदि यह प्रावधान या संकेत देते हैं कि पदोन्नति उम्मीदवार की योग्यता के आकलन के आधार पर की जानी है, तो उम्मीदवार को पदोन्नति के अधिकार से अलग केवल पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है।

18. यह सर्वविदित है कि यद्यपि पदोन्नति सेवा का एक सामान्य परिणाम है और मौलिक अधिकार नहीं है, फिर भी एक कर्मचारी को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है।भारत संघ और अन्य बनाम कृष्ण कुमार और अन्य 8 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि पदोन्नति का कोई निहित अधिकार नहीं है, बल्कि पदोन्नति पर विचार किए जाने की तिथि पर लागू नियमों के अनुसार पदोन्नति पर विचार किए जाने का अधिकार है, और कंडिका 10, 11 और 12 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:---

"10. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करते समय, सबसे पहले यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह सुस्थापित है कि पदोन्नति का कोई निहित अधिकार नहीं है, लेकिन पदोन्नति के लिए विचार किए जाने की तिथि पर लागू नियमों के अनुसार पदोन्नति पर विचार करने का अधिकार है।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि इस आशय का कोई सार्वभौमिक नियम लागू नहीं है कि रिक्तियों को आवश्यक रूप से उस कानून के आधार पर भरा जाना चाहिए जो उस तिथि पर मौजूद था जब वे उत्पन्न हुईं थी।वाई.वी. रंगैया बनाम जे. श्रीनिवास राव 9 में इस न्यायालय के निर्णय को बाद के निर्णयों में एक ऐसे मामले के रूप में व्याख्यायित किया गया है जहाँ लागू नियमों के अनुसार पदोन्नति या चयन की प्रक्रिया को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक था।इसलिए, एच.एस. ग्रेवाल बनाम भारत संघ 10 में यह माना गया है कि मध्यवर्ती पद का सृजन

पदोन्नति के निहित अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा।इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया(एच. एस. ग्रेवाल मामला, एस. सी. सी. पी.769, कंडिका 13)

"13. ... हमारी राय में, इस तरह के मध्यवर्ती पद का परिचय किसी भी निहित अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, इसे सही माना जाना चाहिए।यहां जो कुछ हुआ है वह यह है कि ग्रुप बी क्लास □□ से ग्रुप ए क्लास □ तक भविष्य में पदोन्नति के लिए एक मध्यवर्ती पद का सृजन किया गया है। यदि, 1981 के इन नियमों के लागू होने से पहले, ये अधिकारी 1974 के नियमों के तहत कमांडेंट के रूप में सीधे पदोन्नत होने के पात्र थे, लेकिन इस तरह की कोई भी पदोन्नति मिलने से पहले, 1981 के नियम उन्हें मध्यवर्ती पद से गुजरने के लिए बाध्य करते थे, यह किसी भी निहित अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है।"

11. दीपक अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 11 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:(एससीसी पृष्ठ 633,735, कंडिका 26-27)

"26. अब तक यह कानून का एक स्थापित प्रस्ताव है कि किसी उम्मीदवार को मौजूदा नियमों के आलोक में विचार किए जाने का अधिकार है, 1983 एससीसी (एल एंड एस) 382 जिसका तात्पर्य उस तिथि को लागू "नियमों" से है जिस तिथि पर विचार किया गया था।ऐसा कोई सार्वभौमिक या पूर्णतः लागू होने वाला नियम नहीं है कि रिक्तियों को अनिवार्य रूप से उस तिथि को विद्यमान कानून द्वारा भरा जाएगा जिस तिथि पर रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं।पुराने नियमों के तहत पुरानी रिक्तियों को भरने की आवश्यकता, उम्मीदवार द्वारा पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार प्राप्त करने से जुड़ी हुई है।पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार पात्र उम्मीदवारों के विचार किए जाने की तिथि से प्राप्त होता है।जब तक कि, निश्चित रूप से, वाई.वी. रंगैया केस 9 के अनुसार, लागू नियम कोई विशेष समय-सीमा निर्धारित नहीं करता, जिसके भीतर चयन प्रक्रिया पूरी की जानी है।वर्तमान मामले में, संशोधन लागू होने के बाद पदोन्नति पर विचार किया गया। इस प्रकार, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि संशोधन द्वारा अपीलकर्ताओं का कोई उपार्जित या निहित अधिकार छीन लिया गया है।

27. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय, अर्थात्, बी.एल. गुप्ता बनाम एमसीडी 12, पी. गणेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 13 और एन.टी. देविन कट्टी बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग 14, वाई.वी. रंगैया केस 9 में प्रतिपादित सिद्धांत की पुनरावृत्ति हैं।"

12. हाल ही में, त्रिपुरा राज्य बनाम निखिल रंजन चक्रवर्ती 15 मामले में, इस न्यायालय की एक अन्य दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया(एससीसी पृष्ठ 650-51, कंडिका 9)

"9. इस प्रकार विधि स्पष्ट है कि किसी उम्मीदवार को मौजूदा नियमों, अर्थात् "उस तारीख को लागू नियमों" के आलोक में विचार किए जाने का अधिकार है जिस दिन विचार किया जाता है और ऐसा कोई पूर्णतः लागू

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

होने वाला नियम नहीं है कि रिक्तियों को अनिवार्य रूप से उस तारीख को विद्यमान कानून द्वारा भरा जाना चाहिए जिस दिन वे उत्पन्न हुई थीं।दीपक अग्रवाल 11 में विचार किए जाने के अवसर से पूर्ण बहिष्कार और पूर्ण रूप से वंचित करने के मामले के विपरीत, इस मामले में फीडर कैडर में कुछ अतिरिक्त पद शामिल किए गए हैं, जिससे विचार के क्षेत्र का विस्तार हुआ है।ऐसा नहीं है कि रिट याचिकाकर्ताओं या समान स्थिति वाले उम्मीदवारों को पूरी तरह से बाहर रखा गया था।अधिक से अधिक, अब उन्हें कुछ और उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी थी।किसी भी स्थिति में, 1998 एससीसी (एल एंड एस) 532 चूंकि ऐसा कोई अर्जित अधिकार नहीं था और न ही ऐसा कोई अधिदेश था कि रिक्तियों को अनिवार्य रूप से रिक्ति उत्पन्न होने की तिथि पर विद्यमान कानून के अनुसार भरा जाना चाहिए, इसलिए राज्य को यह निर्धारित करने का पूरा अधिकार था कि रिक्तियों को संशोधित नियमों के अनुसार भरा जाए। दूसरी बात, नियमों में संशोधन की प्रक्रिया भी 24–11–2011 की अधिसूचना से काफी पहले शुरू हो गई थी।""

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं को केवल निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ रूप से विचार किए जाने का अधिकार है, परंतु पदोन्नति का कोई अधिकार नहीं है।हालाँकि, महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम चंद्रकांत अनंत कुलकर्णी एवं अन्य 16 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने माना है कि केवल पदोन्नति की संभावनाएँ सेवा की शर्तें नहीं हैं, और यह तथ्य कि पदोन्नति की संभावनाओं में कमी आई है, सेवा की शर्तों में बदलाव के समान नहीं है।इसके अलावा, यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार सेवा की एक शर्त है, परंतु केवल पदोन्नति की संभावनाएँ सेवा की शर्त नहीं हैं।इसके अलावा, एयर कमोडोर नवीन जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य 17 मामले में,सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर इस मत की पुष्टि की है कि पदोन्नति के लिए कोटा निर्धारित करने की राज्य की शक्ति को अवैध, मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 का उल्लंघन हो, और कंडिका 13 और 15 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:–––

"13. मैसूर राज्य बनाम जी.बी. पुरोहित 18 मामले में, इस न्यायालय ने माना कि पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार सेवा की एक शर्त है, लेकिन पदोन्नति की मात्र संभावना सेवा की शर्त नहीं है। जो नियम केवल पदोन्नति की संभावनाओं को प्रभावित करता है, उसे सेवा की शर्त में परिवर्तन करने वाला नहीं माना जा सकता है।उक्त निर्णय को बाद के एससीसी में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया, जिसे रामचंद्र शंकर देवधर बनाम महाराष्ट्र राज्य 19 के रूप में रिपोर्ट किया गया, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:(एससीसी पृष्ठ 329,कंडिका 15)

"15. ... डिप्टी कलेक्टरों के पदों पर संभागवार पदोन्नति करने और डिप्टी कलेक्टर के पदों में रिक्तियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत तक ऐसी पदोन्नति को सीमित करने के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध पदोन्नति की संभावनाएँ कम हो गईं।मैसूर राज्य बनाम जी.बी. पुरोहित 18 में इस न्यायालय के निर्णय

से यह स्पष्ट हो गया है कि यद्यपि पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार सेवा की एक शर्त है, परंतु केवल पदोन्नति की संभावनाएँ सेवा की शर्त नहीं हैं।जो नियम केवल पदोन्नति की संभावनाओं को प्रभावित करता है, उसे सेवा की शर्त में परिवर्तन नहीं माना जा सकता है।पुरोहित मामले 18 में स्वच्छता निरीक्षकों की जिलावार वरिष्ठता को राज्यवार वरिष्ठता में बदल दिया गया था, और इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्तरवादी की वरिष्ठता कम हो गई और वे बहुत कनिष्ठ हो गए।यह तर्क दिया गया कि इससे उनकी पदोन्नति की संभावनाएँ प्रभावित हुईं, जो धारा 115 की उपधारा (7) के प्रावधान के तहत संरक्षित थीं।इस तर्क को अस्वीकार कर दिया गया और न्यायमूर्ति वांचू (जो उस समय थे) ने इस न्यायालय की ओर से कहा गया कि- (एस. एल. आर. कंडिका 10)

'10. ... उत्तरवादी की ओर से कहा गया है कि चूँकि उनकी पदोन्नति की संभावनाएँ प्रभावित हुई हैं, इसलिए उनकी सेवा की शर्तों को उनके लिए अहितकर बना दिया गया है।हमें इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता क्योंकि पदोन्नति की संभावनाएँ सेवा की शर्तें नहीं हैं।'

15. ए. सत्यनारायण बनाम एस. पुरुषोत्तम 20 मामले में, इस न्यायालय नेयह अभिनिर्धारित किया गया कि पदोन्नति के लिए कोटा निर्धारित करने की राज्य की शक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता की संवैधानिक योजना का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित कियाः(एससीसी पृष्ठ 426, कंडिका 23 तथा 25-26)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"23. तथापि, हमारा यह मत है कि कोटा नियम की वैधता या अन्यथाता का निर्धारण अनुमानों और अटकलों के आधार पर नहीं किया जा सकता है।यद्यपि किसी मामले में विद्यमान तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोटा निर्धारित करने की राज्य की शक्ति को स्वीकार किया जाना चाहिए, तथापि, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अंतर्गत परिकल्पित समानता की संवैधानिक योजना का उल्लंघन नहीं हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है किकिसी नीतिगत निर्णय और विशेष रूप से विधायी नीति में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय, इस बात पर विचार नहीं करेंगे कि ऐसा नीतिगत निर्णय दुर्भावना से लिया गया है या नहीं। लेकिन जहाँ किसी वैधानिक नियम में प्रतिबिम्बित कोई नीतिगत निर्णय अधीनस्थ विधान के क्षेत्र से संबंधित है, वहाँ निर्विवाद रूप से, वह अन्य बातों के साथ-साथ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन होगा।(वासु देव सिंह बनाम भारत संघ 21 तथा केरल राज्य बनाम उन्नी 22 देखें।)

****

25. ऐसा कहते हुए, हम इस कानूनी सिद्धांत से अनभिज्ञ नहीं हैं कि किसी को भी पदोन्नति पाने का अधिकार नहीं है; उसका अधिकार केवल पदोन्नति पर विचार किए जाने के अधिकार तक ही सीमित है।

26. इसी प्रकार, राज्य की कोई नीतिगत निर्णय लेने की शक्ति, जिसके परिणामस्वरूप किसी कर्मचारी की पदोन्नति की संभावना कम हो जाती है, न्यायिक पुनर्विलोकन का विषय नहीं हो सकती है क्योंकि इससे किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है।""

20. इस प्रकार, नियमों में परिवर्तन या संशोधन के कारण पदोन्नति की संभावनाओं में कमी, यदि कोई हो, उसके मौलिक अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को केवल प्रासंगिक नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है।

शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण – नियोक्ता का विशेषाधिकार

21. यह सर्वविदित है कि सेवा की शर्तें और पदोन्नति के अवसर निर्धारित करना नियोक्ता का विशेषाधिकार है, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से अवैध और स्पष्ट मनमानी से ग्रस्त न हो।(**देखें द्वारका प्रसाद और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 23, चंद्रकांत अनंत कुलकर्णी का मामला (सुप्रा), एयर कमोडोर नवीन जैन (सुप्रा) और पी.यू. जोशी एवं अन्य बनाम महालेखाकार, अहमदाबाद एवं अन्य 24.**)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम श्री त्रिलोकी नाथ खोसा एवं अन्य 25 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रशासनिक दक्षता प्राप्त करने के उद्देश्य से शैक्षिक योग्यता के आधार पर वर्गीकरण संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है, हालाँकि, वर्गीकरण की वैधता का आकलन करने के लिए मामले के तथ्यों पर गौर करना होगा, और निम्नलिखित टिप्पणी की है:---

"32. इसलिए न्यायिक जाँच केवल इस बात पर विचार करने तक ही सीमित हो सकती है कि क्या वर्गीकरण उचित आधार पर आधारित है और क्या यह दृष्टिगत उद्देश्य से संबंधित है।यह वर्गीकरण के आधार का एक ठोस या गणितीय मूल्यांकन करने तक सीमित नहीं हो सकती, क्योंकि यदि ऐसी जाँच अनुमेय होती, तो न्यायालयों के लिए यह खुला होता कि वे वर्गीकरण की आवश्यकता या किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति की वांछनीयता के संबंध में विधायिका या नियम-निर्माता प्राधिकारी के निर्णय को प्रतिस्थापित करें।

33. इस दृष्टिकोण से, हमें प्रतिवादियों के इस तर्क को स्वीकार करना असंभव प्रतीत होता है कि सहायक अभियंताओं का डिग्रीधारकों और डिप्लोमाधारकों में वर्गीकरण किसी अवास्तविक या अनुचित आधार पर आधारित है।अपीलकर्ताओं के अनुसार, यह वर्गीकरण इंजीनियरिंग सेवाओं में प्रशासनिक दक्षता प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था।यदि यही उद्देश्य है, तो वर्गीकरण स्पष्ट रूप से इससे संबंधित है, क्योंकि उच्च शैक्षणिक योग्यताएँ कम से कम उच्च मानसिक क्षमता का संभावित प्रमाण हैं।इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रशासनिक दक्षता केवल तुलनात्मक रूप से उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वालों के माध्यम से ही प्राप्त की जा

सकती है, लेकिन यह बात अलग है।प्रासंगिक बात यह है कि यहाँ प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य असमानताओं को अंधाधुंध थोपने का मात्र दिखावा नहीं है और वर्गीकरण को मनमाना या बेतुका नहीं कहा जा सकता है। न्यायिक जांच यहीं तक सीमित हो सकती है।

34. मामले के तथ्य के आधार पर, प्रशासनिक दक्षता प्राप्त करने के उद्देश्य से शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया गया वर्गीकरण किसी आकस्मिक परिस्थिति पर आधारित नहीं कहा जा सकता है और किसी वर्गीकरण की वैधता का निर्णय करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।....."

23. श्री त्रिलोकी नाथ खोसा के मामले (सुप्रा) में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत का पालन मोहम्मद शुजात अली एवं अन्य बनाम भारत संघ **एवं अन्य 26 के मामले में अनुमोदन के साथ किया गया है**

24. इसी प्रकार, टी.आर. कोठांदरमन एवं अन्य बनाम तमिलनाडु जल आपूर्ति एवं जल निकासी बीडी एवं अन्य 27 के मामले में,सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च शैक्षणिक योग्यता वर्गीकरण का एक अनुमेय आधार है, और निम्नलिखित टिप्पणी की है:---

"16. ऊपर जो कहा गया है, उससे निम्नलिखित कानूनी प्रस्ताव सामने आते हैं:

(1) उच्चतर शैक्षिक योग्यता वर्गीकरण का एक स्वीकार्य आधार है, जिसकी स्वीकार्यता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

(2) उच्चतर शैक्षिक योग्यता न केवल पदोन्नति पर रोक लगाने का, बल्कि पदोन्नति के दायरे को सीमित करने का भी आधार हो सकती है।

(3) हालाँकि, लगाया गया प्रतिबंध पदोन्नति की संभावनाओं को गंभीर रूप से खतरे में डालने की सीमा तक नहीं जा सकता है।यह तय करने के लिए, प्रतिबंध की सीमा पर भी विचार करना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह युक्तियुक्त है।इसके कारण बाद में बताए जा रहे हैं।"

25. इसी प्रकार, के. जगदीशन बनाम भारत संघ और अन्य 28 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि उच्च पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक योग्यता का निर्णय सरकार को करना है और जब तक वह आवश्यकता पूरी तरह अप्रासंगिक या अनुचित न हो, उसे कानून की दृष्टि से अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

26. इसी प्रकार, टी.आर. कपूर बनाम हरियाणा राज्य 29 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति, नियमों को संशोधित या परिवर्तित करने की शक्ति भी रखती है और आगे यह भी माना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है कि पदोन्नति के लिए योग्यताएँ निर्धारित करने में सक्षम प्राधिकारी, योग्यताएँ बदलने में भी सक्षम है, और निम्नलिखित टिप्पणी की है:–––

"16. यह सर्वविदित है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति, पूर्वव्यापी प्रभाव से नियमों को संशोधित या परिवर्तित करने की शक्ति भी रखती है

... यह भी सर्वविदित है कि कोई भी नियम जो किसी व्यक्ति के पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार को प्रभावित करता है, सेवा की एक शर्त है, हालाँकि पदोन्नति का मात्र अवसर सेवा की शर्त नहीं हो सकता है। ... जो प्राधिकारी पदोन्नति के लिए योग्यताएँ निर्धारित करने में सक्षम है, वह योग्यताओं को बदलने में भी सक्षम है।पदोन्नति के लिए योग्यताएँ और उपयुक्तता को परिभाषित करने वाले नियम सेवा की शर्तें हैं और उन्हें पूर्वव्यापी रूप से बदला जा सकता है।....."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित विधि के सिद्धांतों के आलोक में मामले के तथ्यों पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं के पास पदोन्नति का कोई निहित अधिकार नहीं है तथा उनके पास एकमात्र अधिकार यह है कि विचार की तिथि पर लागू मौजूदा नियमों के आलोक में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है।इसके अलावा, पदोन्नति के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी यानी राज्य सरकार जिसने 2012 के नियम बनाए हैं, योग्यता बदलने के लिए भी सक्षम है और यह राज्य सरकार पर निर्भर है कि वह उच्च पद पर पदोन्नति के लिए क्या योग्यता आवश्यक है, जैसा कि वर्तमान मामले में, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी के पदों पर पदोन्नति के लिए स्नातक होने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी स्नातक की डिग्री निर्धारित की गई है, जिसमें पदोन्नत होने पर अधिकारियों के कार्य और जिम्मेदारी के दायरे पर विचार किया गया है और इस प्रकार, उक्त पदों पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के रूप में स्नातक की डिग्री की शुरूआत को मनमाना नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 2012 के नियमों की अनुसूची–□□□ की क्रम संख्या 5 के साथ नियम 8 के तहत एजी–□ के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए भी, सचिवालय सेवा में एजी–□□ के रूप में 5 साल का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता "स्नातक" है, जिसका अर्थ है कि उच्च पदों पर आगे की पदोन्नति हेतु, स्नातक को एक आवश्यक योग्यता के रूप में शामिल करना केवल स्पष्ट है तथा उच्च पद हेतु कम योग्यता स्पष्ट रूप से अनुचित हो जाएगी।इस विसंगति/विसंगति को दूर करने के लिए, उच्च पद के लिए स्नातक की डिग्री की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करते हुए संशोधन किया गया है जो उपयुक्तता और प्रशासनिक दक्षता के दृष्टिकोण से पूरी तरह से न्यायसंगत और उचित है, क्योंकि पदोन्नत होने पर उन अधिकारियों को राज्य सरकार सचिवालय के अधिकारियों के रूप में अपने कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करना आवश्यक है।इस प्रकार, 14–6–2021 की अधिसूचना, जिसमें अनुसूची–□□ के क्रमांक 1, 2, 3 और 7 में संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी के पदोन्नति पदों के लिए

अपेक्षित अनुभव के अतिरिक्त स्नातक की डिग्री को योग्यता के रूप में शामिल किया गया है, संवैधानिक रूप से वैध है और इसे किसी भी तरह से अवैध नहीं कहा जा सकता है।

28. याचिकाकर्ताओं का आगे तर्क यह है कि जब उन्होंने सेवा में प्रवेश किया था, तो विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यता मैट्रिकुलेशन थी और अब, उनके सेवा करियर के अंतिम चरण में, 2012 के नियमों की अनुसूची–□□ के कॉलम 5 में स्नातक की डिग्री डालने वाले संशोधन की शुरूआत से उन्हें अत्यधिक कठिनाई होगी और आगे पदोन्नति के उनके अवसर बाधित होंगे।29. यह विधि हेतु सुस्थापित प्रस्ताव है कि किसी व्यक्ति की कठिनाई किसी विधि को अमान्य करने हेतु आधार नहीं हो सकती है।सर्वोच्च न्यायालय ने डी.सी. भाटिया एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य 30, सुधीर कुमार काउंसलर बनाम इलाहाबाद बैंक 31 और तमिलनाडु राज्य एवं अन्य बनाम के. श्याम सुंदर एवं अन्य 32 मामलों में पहले ही यह निर्णय दिया था कि कठिनाई किसी कानून को अधिकार–बाह्य घोषित करने का आधार नहीं हो सकती है।

30. याचिकाकर्ताओं का अगला तर्क यह है कि 2012 के नियमों के नियम 14 में संशोधन किए बिना अनुसूची में संशोधन किया गया है, जो कि एम.पी. अडे (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तों को निर्धारित करने वाला मूल प्रावधान है।हालाँकि, वर्तमान मामले के तथ्य एम.पी. आडे (सुप्रा) के मामले से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं, क्योंकि एम.पी. आडे (सुप्रा) में अनुसूची में संशोधन स्पष्ट रूप से 2010 के मूल नियमों और उसमें 2003 के नियमों के विपरीत था, जबकि वर्तमान मामले में, संशोधन के बाद भी, 2012 के नियमों की अनुसूची–□□ के क्रम संख्या 1, 2, 3 और 7 की प्रविष्टियाँ 2012 के नियमों के नियम 14 के विपरीत नहीं बनती हैं।इसलिए, एम.पी. आडे (सुप्रा) में इस न्यायालय का निर्णय याचिकाकर्ताओं के लिए किसी काम का नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता डॉ. सचिन अशोक काले ने डब्ल्यूपीएस क्रमांक 6913/2021 में दलील दी है कि विवादित अधिसूचना मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 69(1) के प्रावधान के विपरीत है।

32. हमारी सुविचारित राय में, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 69(1) का प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।याचिकाकर्ताओं का यह मामला नहीं है कि आवंटन के समय, याचिकाकर्ताओं के पदनाम, वेतनमान या वरिष्ठता को उनके लिए हानिकारक तरीके से बदल दिया गया था।हम पहले ही यह मान चुके हैं कि याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति का निहित अधिकार नहीं है और 2012 के नियमों तथा आक्षेपित संशोधन अर्थात दिनांक 14–6–2021 की अधिसूचना द्वारा याचिकाकर्ताओं का कोई निहित अधिकार नहीं छीना गया है।इस प्रकार, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 69(1) का प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

33. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं, अर्थात् **राम गोपाल शुक्ला केस (सुप्रा), बुधन चौधरी (सुप्रा), ओम प्रकाश शर्मा केस (सुप्रा), महाराष्ट्र वन रक्षक एवं वनपाल संघ (सुप्रा) और मेजर जनरल एच.एम. सिंह, वीएसएम (सुप्रा)** द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से भिन्न हैं।

34. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, हमारा यह सुविचारित मत है कि संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी के पदोन्नति पदों के लिए स्नातक डिग्री की शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने वाले 2012 के नियमों की अनुसूची–□□ में किया गया संशोधन संवैधानिक रूप से वैध है और इसमें किसी भी प्रकार की मनमानी, अवैधता या भेदभाव का दोष नहीं है।उक्त संशोधन को दी गई चुनौती को एतद्द्वारा अस्वीकार किया जाता है।परिणामस्वरूप, सभी रिट याचिकाएँ खारिज किए जाने योग्य हैं और तदनुसार जिससे पक्षकारों को अपना खर्च वहन करना होगा ।

सही/–
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/–
(संजय कुमार जयसवाल)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य*

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur